आईआरसीटीसी की पहल : चारधाम के दर्शन कराएगी भारत गौरव डीलक्स ट्रेन

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली . भारतीय रेलवे ने 'देखो अपना देश' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत चार धाम यात्रा के लिए विशेष भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन 5 सितंबर 2025 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 16 रात और 17 दिन की यात्रा पर रवाना होगी। इस यात्रा में श्रद्धालु देश के चारों धाम के साथ ऋषिकेश, वाराणसी, पुणे और नासिक जैसे विभिन्न धार्मिक स्थलों की भी यात्रा करेंगे। यात्रा 17वें दिन दिल्ली में समाप्त होगी।

140 देशों में स्पीड पोस्ट से जाएगा केदारनाथ का प्रसाद : उधर, बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम का प्रसाद अब दुनिया के 140 देशों में स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। मंदिर समिति और डाक विभाग के बीच अनुबंध हुआ है।

पेज 1 के शेष

ट्रम्प का झूठ साबित...

2 सितंबर से बंद हो जाएगा यूएसएेड : बीते दिनों राज्यसभा में सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास ने सदन में पूछा था कि यूएसऐड की ताजा स्थिति क्या है? इस पर मंत्रालय ने बताया था कि यूएसऐड के 83% कार्यक्रम अमेरिकी प्रशासन ने समाप्त कर दिए हैं। 94% कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। जो बचा 17% कार्यक्रम है, उसे मंत्रालय संभाल रहा है। फिर 29 जुलाई को अमेरिकी दूतावास ने बताया कि यूएसऐड के सभी कार्यक्रम 2 सितंबर से बंद हो जाएंगे।

जीएसटी में 12% और...

समिति की सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल को जाएंगी, जो अंतिम फैसला लेगी। केंद्र ने 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, कुछ खास वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। समिति की बैठक में सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि महंगी कारों जैसी अल्ट्रा-लक्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स के अलावा अतिरिक्त टैक्स भी लगाया जाए। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया कि टैक्स स्लैब में बदलाव से कितना राजस्व नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्यों को नुकसान होता है, तो इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी एक्ट की धारा 1 में संशोधन कर 40% से ऊपर टैक्स लगाने की अनुमति दी जाए।

होप मिल की हजार करोड़...

2012 का आदेश जब मिल नहीं तो जमीन आपकी कैसे?
साल 2012 में तत्कालीन कलेक्टर ने लिखा था कि औद्योगिक भूमि के स्थान पर केवल भूमि पढ़े जाने से विभाग के अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। कंपनी को 4.5496 एकड़ को विकसित करने की अनुमति थी। जिस 8.24 एकड़ भूमि को मिल के लिए छोड़ा था, वह खाली है, इसलिए जमीनों को कब्जे में लें।

निजी विवि में फीस...

विधायक का प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के पास पहुंचा। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी ने विधायक के इस प्रश्न को 22 जुलाई को बदलकर विधानसभा में लगा दिया। इस पर बाला बच्चन बोले- 'मैंने विधानसभा में पीयूआरसी की धांधलियों पर सवाल उठाया था, लेकिन अफसरों ने मेरे सवालों को बिना बताए ही बदल दिया। सवाल मोडिफाई किया गया है, इस बारे में विधानसभा से मैसेज आया था। मैं स्वयं प्रश्न लेखा समिति का सदस्य हूं और पूरे मामले को समिति में उठाऊंगा।'

▪ यदि प्रश्न बहुत विस्तृत है तो उसे सीमित करने का अधिकार विधानसभा को है, शासन को नहीं। विधायक को जवाब असंतोषजनक लगता है तो इसके लिए प्रश्न संदर्भ समिति बनी हुई है। यहां विधायक अपनी बात रख सकता है। **-बी.डी. ईसरानी,** *पूर्व प्रमुख सचिव, विधानसभा*

जैकेट 3 के शेष

विपक्ष को गलत प्रयोग का...

2014 के बाद कम से कम 13 सिटिंग मंत्रियों को सीबीआई-ईडी गिरफ्तार कर चुकी हैं। इनमें से 10 गिरफ्तारी पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के तहत हुईं। अधिकतर गिरफ्तारी आप शासित दिल्ली और टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में हुईं। किसी भाजपाई मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान को अवैध हथियार के मामले में एक वर्ष की सजा हुई थी। वह जमानत के बाद पद पर बने हुए हैं।

मप्र में गाड़ियों के स्क्रैप पर...

इस फैसले से उन बस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर को लाभ होगा, जिनके वाहन आर्थिक परेशानी या तकनीकी कारणों से चलना बंद हो गए थे। कोरोना काल में भी कई वाहन बंद पड़े रहे और टैक्स का बोझ बढ़ गया। परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह का कहना है कि इस एक्सटेंशन से दो तरफा राहत मिलेगी। उन्हें वाहन पर बन रहे टैक्स की बड़ी राशि का महज 10% जमा करना होगा। अधिकृत आरवीएसएफ में स्क्रैप करवाने पर उन्हें मिलने वाले सीओडी की मदद से नए वाहन पर लगने वाले टैक्स में भी राहत मिलेगी।

शासन को हुई थी 17 करोड़ की आय : विभागीय सूत्रों का कहना है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में 1000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया बताया गया है। यह बकाया राशि पिछले करीब 50 सालों में खरीदे गए वाहनों पर बकाया टैक्स की है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र से जारी निर्देश के बाद मप्र में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भी टैक्स में छूट दी गई थी। इस एक साल में लोगों ने कंडम वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी का लाभ लिया, जिससे शासन को करीब 17 करोड़ रुपए की आय हुई थी।

वाहन मालिकों को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? • वाहन को अधिकृत फिटनेस सेंटर (एटीएस) ले जाएं। केंद्र आपके वाहन के टैक्स और पेनाल्टी की वर्तमान देय स्थिति का आकलन करेगा।• सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में वाहन जमा करें। यहां बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के सिस्टम द्वारा 90% छूट स्वतः लागू कर दी जाएगी। • वाहन के स्क्रैप होने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट (सीडी) मिलेगा।• सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट को आरटीओ में जमा कर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कराएं। • स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाकर नया वाहन खरीदते समय निजी/गैर-ट्रांसपोर्ट वाहन पर 25% टैक्स रिबेट और वाणिज्यिक वाहन पर 15% टैक्स रिबेट मिलेगी।

गयाजी • पितृपक्ष मेले के लिए बीएसटीडीसी की वेबसाइट पर कर सकते हैं पैकेज की बुकिंग

अब कर सकेंगे ई-पिंडदान, शुरू हो गई बुकिंग

भास्कर न्यूज़ | पटना

देश-विदेश व राज्य में रहने वाले लोग अब गयाजी में ई-पिंडदान कर सकेंगे। यही नहीं] श्रद्धालु पूजा-पाठ करने के लिए एडवांस में बुकिंग भी कर सकेंगे। यह सब हो सकेगा पर्यटन विभाग के विशेष पैकेज के तहत।

विभाग ने अपना भ्रमण पैकेज जारी किया है। इसके जरिए श्रद्धालुओं को न केवल गया जी पहुंच कर पिंडदान करने का मौका मिलेगा, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने में पर्यटन विभाग की विशेष मदद भी मिलेगी। जो श्रद्धालु खुद यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ई पिंडदान की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल, अपने पूज्य पितरों को तर्पण व पिंडदान के लिए गयाजी में 6-21 सितंबर तक पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों को तर्पण व पिंडदान के लिए गयाजी आते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडीसी) ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष यात्रा पैकेज की पूरी जानकारी बुकिंग के लिए जारी कर दी है।

पांच तरह के टूर पैकेज, 13,450 से शुरू

श्रद्धालु पिंडदान करने के बाद आसपास के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। इसके लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पांच तरह का टूर पैकेज तैयार किया है। श्रद्धालु पर्यटन निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन पैकेज के तहत बुकिंग करा सकते हैं। पांच तरह के पैकेज में पटना-पुनपुन-गया का एक दिन का पैकेज, एक रात और दो दिनों का पटना-पुनपुन-नालंदा-राजगीर-पटना भ्रमण का पैकेज है। वहीं गयाजी का एक दिन का पैकेज, गयाजी का एक रात और दो दिनों का पैकेज तथा गया-बोधगया, राजगीर-नालंदा-गयाजी का एक रात और दो दिनों का पैकेज है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या चार व्यक्ति बजट होटल, टू स्टार, थ्री स्टार होटल या रिसॉर्ट की श्रेणी के तहत पैकेज बुक करा सकते हैं। 13,450 रुपए से यह पैकेज शुरू है। देश-विदेश में रहने वाले वे श्रद्धालु, जो गयाजी आने में असमर्थ हैं, वे ई-पिंडदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु 23 हजार रुपए में ई-पिंडदान पैकेज बुक करा सकते हैं। बुकिंग के लिए वेबसाइट https://bstdc.bihar.gov.in/ पर जा सकते हैं।

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी *Relationship beyond banking*

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 4520 010, फोन 2445141-117-134

ई-निलामी द्वारा वाहन विक्रय सूचना (ई-नीलामी तिथि 09.09.2025, प्रातः 11.00 बजे से 5.00 शाम बजे तक

हमारी शाखा द्वारा जप्त किये एवं वाहनों का ''जहां है जैसा है'' आधार पर निविदा द्वारा विक्रय किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	शाखा का नाम एवं उधारकर्ता का नाम	वाहन का विवरण	आरक्षित मूल्य (लाख में) / ई.एम.डी.(लाख में) / बोली वृद्धि राशि (लाख में)
1.	शाखाः एआरबी श्री विनोद जाट पिता बलराम जाट, पता: ग्राम मातमोर, पोस्ट मातमोर तहसील बागली, जिला देवास (मध्य प्रदेश) 455227	1. **Make & Model:**- Tata Motors/SIGNA 3525 TK, **Variant:**- SIGNA3525TK 8*4 BSVI, HD 23BX, **Registration No:**- RJ09GE5098, **Chassis No:**- MAT777012P3B03663, **Engine No:**- B67B6A250D06232A64266974	30.60 3.06 0.25
		2. **Make & Model:**- Tata Motors/SIGNA 3530 TK, **Variant:**- SIGNA 3530TK 8*4 BSVI, HD 23BX, **Registration No:**- RJ09GE5198, **Chassis No:**- MAT569002P3G20446, **Engine No:**- B67B62300D03132G64307936	33.53 3.36 0.25

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें : 1. नीलामी बिक्री / बोली, वेबसाइट **https://baanknet.com**, के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग प्रकिया द्वारा की जायेगी। 2. बोलीकर्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट **https://baanknet.com** में जा कर देख सकते हैं। 3. बोली राशि आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए। 4. सर्वाधिक/सफल बोलीकर्ता का विक्रय के सम्बंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद बोली/क्रय मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि में पहले से जमा बयाना राशि घटाकर शेष बची राशि अगले कार्यदिवस में जमा कराना होगा। अन्यथा उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। 5. क्रयमूल्य कि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री कि पुष्टि करने से 15 दिन या उससे पहले अथवा उस बढ़ाई हुई अवधि के भीतर शेष राशि जमा नहीं करा पाने कि दशा में जमा राशि को जब्तकर लिया जायेगा एवं अधिकृत अधिकारी बैंक नीलामी को रद्द कर नये सिरे से नीलामी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। 6. अधिकृत/सफल बोलीकर्ता की दशा में बयानाराशि का क्रय मूल्य में समायोजित कर दिया जायेगा एवं असफल बोलीकर्ताओं को वापस कर दिया जायेगा। बयाना राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। 7. चल सम्पत्ति का **जैसा है, जहाँ है** एवं बिना किसी सहारे के आधार पर बेचा जायेगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं नीलामी में शामिल होने में पूर्व सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का देय आदि के बारे में जानकारी स्वयं प्राप्त करें। 8. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास स्व-विवेक से बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा बिक्री को स्थगित करने/टालने रद्द करने अथवा बिकी की नियम व शर्तों को संशोधित करने का सम्पूर्ण अधिकार है। 9. सम्पत्ति के क्रेता को सरकार को देय सभी वैधानिक देयक एवं सम्पत्ति से संबंधित सभी वर्तमान एवं भविष्य के कर, दर व देयक वन करना होगा। 10. देय राशि ब्याज और अन्य शुल्कों को छोड़कर हैं। 11. इस नीलामी से संबंधित किसी भी तरह का संशोधन/त्रुटि सुधार/शुद्धिपत्र भविष्य में अखबार के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जायेगा कृपया इच्छुक नियमित रूप से ऊपर दी गई वेबसाईट से संज्ञान लेवें। 12. इस नीलामी की प्रकिया बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी नहीं बोली लगा सकते। 13. इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई डी व पासवर्ड स्वयं बनाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूजर आई.डी. अंतिम तिथि से पूर्व ही बना लें। 14. एक बोली लगाने वाला (बोलीकर्ता) होने की स्थिति में बोली फॉर्म में उद्धत बोली राशि में न्यूनतम एकबोली वृद्धि मूल्य की बढ़ोतरी करनी होगी, अन्यथा विक्रय निरस्त/स्थगित किया जायेगा। 15. एकल बोलीदाता के मामले में प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करें, उक्त बोलीदाता ने एक मूल्य उद्धत किया है जो आरक्षित मूल्य से अधिक है, हल किया गया। इस शर्त का अधिसूचना में स्पष्टरूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

स्थानः इन्दौर, दिनांकः 22.08.2025 **अधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया**

FORM NO. 14
[See Regulation 33(2)]
By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication.

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhavan (BSNL Building), Near Head Post Office Residency Road, Jabalpur -482001, MP.

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/78/2025 **30-07-2025**

BANK OF INDIA
Versus
M/S SHUBH LABH TRADERS

To
(CD 1) M/S SHUBH LABH TRADERS
M/S SHUBH LABH TRADERS
M-22, INDORE TRADE CENTRE, 3/2, SOUTH TUKOGANJ, INDORE (M.P.)
Indore MADHYA PRADESH-452002
(CD 2) SHAILENDRA KUMAR LALWANI S/O MANGILAL LALWANI
G-59. GUMASTA NAGAR, INDORE (M.P.) Indore MADHYA PRADESH-452001
(CD 3) JAIPRAKASH SINGH S/O SHRI BHARAT SINGH
144/303, DRAVID NAGAR, INDORE (M.P.) Indore MADHYA PRADESH-452001
(CD 4) BHARAT SINGH S/O BAPU SINGH
144/303, DRAVID NAGAR, INDORE (M.P.) Indore MADHYA PRADESH-452001
(CD 5) LATA LALWANI W/O SHAILENDRA LALWANI
G-59, GUMASTA NAGAR, INDORE (M.P.) Indore, MADHYA PRADESH-452001

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR in **OA/666/2022** an amount of **Rs 16077896 (Rupees One Crore Sixty Lakhs Seventy Seven Thousands Eight Hundred Ninety Six Only)** along with pendentellite and future interest @ 10.10% Simple Interest Yearly w.e.f. **06/05/2022** till realization and costs of **Rs 150000 (Rupees One Lakh Fifty Thousands Only)** has become due against you (Jointly and severally/Fully/Limited).

2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.
4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **11/09/2025** at **10:30 am.** for further proceedings.
5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **30/07/2025**

Ms Priti Desai
Recovery Officer-II
Debts Recovery Tribunal
Govt. of India, Ministry of Finance
Jabalpur (M.P. & C.G. States)

HDFC BANK

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का **भौतिक कब्जा** ले लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचें दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से **वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जावेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादि का विवरण

क्रं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक	निरीक्षण की तिथी एवं समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथी/ समय	बोली प्राप्ति हेतु अंतिम तिथी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.) मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाइन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (आईबीसी प्रक्रिया के तहत परिसमापन में)	**(1) श्री रूपेन्द्र सिंह चौहान पिता देवेन्द्र सिंह** (निदेशक एवं जमानतदार मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाईन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के अब परिसमापन में), **(2) श्री सचिन सिंह पिता महिपाल सिंह** (जमानतदार मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाईन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के अब परिसमापन में), **(3) श्रीमती उर्वशी भदौरिया पिता अरुण भदौरिया** (जमानतदार मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाईन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के अब परिसमापन में), **(4) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह** (निदेशक एवं बंधककर्ता - मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाईन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के अब परिसमापन में)	आवासीय सह वाणिज्यिक संपत्ति, प्लॉट नंबर 168, स्कीम नंबर 78, भाग-II, इंदौर, मध्य प्रदेश पर स्थित **संपत्ति मालिक:** श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह **क्षेत्रफल-** 180 वर्ग मीटर	₹ 6,56,03,958.68/- 30.06.2022 तक बकाया राशि, ब्याज सहित, 01 जुलाई 2022 से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के तहत पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तारीख तक मासिक रूप से 18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित / **16 जुलाई 2022**	04/09/2025 एवं समय- प्रात:10.00 बजे से	₹ 4,10,00,000/- / ईएमडी ₹ 41,00,000/- / बोली वृद्धि राशि ₹ 1,00,000/-	11/09/2025 प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक	06/09/2025 सायं 4.00 बजे तक	आशिष रावत 9981126266 Ashish.rawat9@hdfcbank.com; सुनील भानुशाली 9323176985 sunil.bhanushali@hdfcbank.com; केशव नेगी 7000815939 keshav.negi@hdfcbank.com

नियम एवं शर्ते
1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : **57500000904261** खाता का नाम : **DFSO TRANSITORY ACCOUNT : DOC SERV**, लाभार्थी का नाम : **एचडीएफसी बैंक लि.**, आईएफएससी कोड : **HDFC0000240** में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड ड्राफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर अन्य भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/बकाया करों/मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरीक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री मिथिलेश कुमार, मोबाईल : 7080804466 एवं श्री शिबु बाबु , मो.: 9891628914**, हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए **उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी** से कार्यालय अवधि **(प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे)** के दौरान कार्यदिवसों को संपर्क करें।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिवसीय बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 15 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 21.08.2025, स्थान : इंदौर **प्राधिकृत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 5731/कॉलोनी सेल/2025/इन्दौर **सार्वजनिक सूचना** दिनांक: 19/08/2025

मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021
के नियम 23(6) व (7) एवं 24(2) के अंतर्गत

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 29 प्रकाशन दिनांक 13/01/2022 से मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत दिनांक 31/12/2022 के पूर्व अस्तित्व में आयी अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अद्योसंरचना प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए नगर पालिक निगम, इन्दौर सीमा क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में से जिन कॉलोनियों में नियम 23(3) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया एवं नियम 23(4) के प्रावधान अनुसार कॉलोनी के ले-आऊट (अभिन्यास) के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया है।

उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के पश्चात् प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत अभिन्यास को अंतिम रूप देते हुए उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 2915/1452905/2023/18-3 भोपाल दिनांक 18/07/2023 के क्रम में शासन द्वारा जारी मार्गदर्शन एवं परिषद संकल्प के अनुसार राशि रूपये 150/- प्रति वर्गफीट अर्थात राशि रूपये 1,614/- वर्गमीटर विकास शुल्क का निर्धारण किया जाकर तदुसार कार्यवाही का अवलोकन कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार ग्राम निपानिया, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर स्थित लैंडलॉड इस्टेट अनाधिकृत कॉलोनी के भूखण्ड/भवनधारियों को सूचित किया जाता है, कि संबंधित कॉलोनी के सम्मुख दर्शायी गयी विकास शुल्क की राशि अनुसार पंजीकृत भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल हेतु आवश्यक विकास शुल्क राशि को जमा कराना अनिवार्य है :-

क्र.	झोन क्र.	वार्ड क्र.	कॉलोनी का नाम एवं ग्राम	सर्वे क्रमांक	शासन के पत्र दिनांक 18/07/2023 के अनुसार विकास शुल्क की राशि	प्राक्कलन अनुसार आंतरिक विकास शुल्क रूपये (प्रति वर्गमीटर)	कॉलोनी के संबंध में प्रस्तावित बाह्य विकास शुल्क (प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	22	36	लैंडलॉड इस्टेट कॉलोनी, ग्राम निपानिया	08 पार्ट, 10 पार्ट, 11,12 पार्ट, 17, 18 पार्ट	1,614/-	718/-	896/-

उपरोक्तानुसार ग्राम निपानिया, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर स्थित लैंडलॉड इस्टेट अनाधिकृत कॉलोनी के समस्त पात्र हितधारक एवं भवनस्वामी /भूखण्डधारकों को सूचित किया जाता है, कि आपको स्वामित्व के आधार पर भूखण्डो/भवनो हेतु प्रावधान अनुसार अपेक्षित 10 प्रतिशत खुली भूमि एवं अभिन्यास अनुसार रोड़ की चौड़ाई दर्शाकर स्वामित्व के आधार पर स्वयं के भूखण्ड का साईड प्लॉन कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर में प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा भूखण्ड/भवन का स्वामित्व सिद्ध करते हुए पात्रता अनुसार दिनांक 31/12/2022 के पूर्व की मूल विक्रय पत्र/रजिस्ट्री/स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के परीक्षण उपरांत निगम द्वारा नियमों के प्रावधानो अंतर्गत तथा शासन से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में निगम परिषद संकल्प अनुसार विकास शुल्क जमा कराने के उपरांत ही पृथक-पृथक भूखण्डो/भवनधारियों की वैधता/वैधानिकता सिद्ध मान्य की जावेगी। उक्त कॉलोनी में नियम 23(5) के अनुसार अपात्र एवं दिनांक 31/12/2022 के बाद अस्तित्व में आये भूखण्डों की वैधता मान्य नही होगी। ऐसे भूखण्ड की ही वैधता मान्य होगी, जिसकी प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 31/12/2022 के पूर्व भूमिस्वामी/ कॉलोनाईजर द्वारा विक्रय किया गया हो, तदुसार ही अन्य अपेक्षित अनुज्ञाओ एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अद्योसंरचना प्राप्त किये जाने हेतु पात्र होकर नियमानुसार भवन अनुज्ञा/जल संयोजन/विद्युत संयोजन की पृथक से संबंधित विभागो से स्वीकृति प्राप्त कर सकेगे। भविष्य में कॉलोनी के तैयार किये गये अभिन्यास में गुण-दोष के आधार पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ संशोधन के समस्त अधिकार सक्षम प्राधिकारी, नगर पालिक निगम, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगे।

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित।

अपर आयुक्त
कॉलोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी *Relationship beyond banking*

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 452010, फोन 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है ''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 26.09.2025** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 26.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
आस्ति वसूली शाखा	**मेसर्स नेचुरल फूड्स एंड न्यूट्रिशन** सर्वे नं. 279, पटवारी हल्का नं. 31/68, इस्लामपुरा, इंदौर-अहमदाबाद बाईपास रोड, धार जिला धार, म.प्र. (454001) **श्रीमती प्रीति शर्मा पति राजेश शर्मा (प्रोपराईटर)**, फ्लैट नं.-513, ए ब्लॉक एस एन एन्क्लेव, नरीमन सिटी, छोटा बांगड़्दा, इंदौर-452005 **राजेश शर्मा पिता पूर्ण शंकर शर्मा (जमानतदार)**, फ्लैट कमांक-513, ए ब्लॉक एस एन एन्क्लेव, नरीमन सिटी, छोटा बांगड़्दा, इंदौर-452005	1. साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि और भवन सर्वे कमांक 279 (बटांकन के बाद 279/1 और 279/2), पटवारी हल्का नं.- 31/68, प्लॉट क्षेत्रफल 54465.84 वर्ग फीट। ग्राम इस्लामपुरा इंदौर अहमदाबाद बायपास रोड धार जिला धार म.प्र., **संपत्ति मालिकः** मेसर्स नेचुरल फूड्स एंड न्यूट्रिशन्स (प्रोप. श्रीमती प्रीति शर्मा पति राजेश शर्मा), **चतुर्सीमा - पूर्वः** सर्वे कमांक 279 के हिस्से पर खुली अन्य भूमि, **पश्चिमः** लक्ष्मीनारायण अस्पताल की खुली भूमि, **उत्तरः** इंदौर अहमदाबाद बायपास रोड, **दक्षिणः** सर्वे क्रमांक 279 के हिस्से पर खुली अन्य भूमि	29.01.2022 ₹ 8,84,39,140.28 + ब्याज एवं अन्य खर्च	19.10.2022 भौतिक	₹ 269.50 लाख	₹ 26.95 लाख
		संयंत्र मशीनरी और उपकरणों का बंधक फैक्ट्री सर्वे नंबर 279 (बटांकन के बाद 279/1, 279/2), पीएच नंबर- 31/68 ग्राम इस्लामपुरा इंदौर अहमदाबाद बाय-पास रोड धार, जिला धार म.प्र. **(नोट- उसी भूमि पर प्लांट एवं मशीनरीज स्थित है, इसलिए भूमि भवन एवं प्लांट एवं मशीनरीज की एक ही बोली लगेगी)**			₹ 13.05 लाख	₹ 1.31 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता**https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन को या उससे पहले या ऐसी अवधि, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारण दर्ज कर बढ़ाया गया हो, के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1 % की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 22.08.2025, स्थानः इन्दौर **प्राधिकृत अधिकारीः बैंक ऑफ इंडिया**